



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-06022024-251830
CG-HR-E-06022024-251830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2024/माघ 16, 1945

No. 90]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2024/MAGHA 16, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 99(अ).—फल एवं सब्जियां श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2024 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फल एवं सब्जियां श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2004 में संशोधन करके बनाने का विचार है, को उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आपत्तियों अथवा सुझावों पर जो उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रारूप नियमों के संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, एन.एच.-IV, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001 को अग्रेषित किया जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फल एवं सब्जियाँ श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये भारत के आधिकारिक राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. फल एवं सब्जियाँ श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2004 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया जाएगा) में, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“8 (1) फल एवं सब्जियों के घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषक, कीटनाशक अवशेष, सूक्ष्मजीव अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर से संबंधित प्रतिबंधों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं तथा घरेलू व्यापार के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन किसी भी अन्य विनियम का अनुपालन करेगा।

(2) फल एवं सब्जियों के निर्यात के मामले में यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा निर्धारित भारी धातुओं और कीटनाशकों की अवशिष्ट सीमाओं तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों अथवा आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।”

3. उक्त नियमों में, अनुसूची II के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“अनुसूची –II

टेबल अंगूर का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. टेबल अंगूर *वाइटिस विनीफेरा एल.* की किस्म (किस्मों) से प्राप्त फल होंगे।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) टेबल अंगूर के गुच्छे एवं फल में निम्न अपेक्षाएं होंगी:

(क) साफ, ठोस, किसी भी दृश्य विजातीय पदार्थ से मुक्त होगा;

(ख) उपज के सामान्य स्वरूप को प्रभावित करने वाले कीटों से मुक्त होगा;

(ग) कीटों या बीमारियों से होने वाले नुकसान से मुक्त होगा;

(घ) असामान्य बाहरी नमी से मुक्त होगा;

(ङ) किसी भी विजातीय गंध और/या स्वाद से मुक्त होगा;

(च) दृश्यमान फफूंद से मुक्त होगा;

(छ) उच्च या निम्न तापमान से होने वाले नुकसान से मुक्त होगा।

(ii) फल साबुत, सुगठित और सामान्यतः परिपक्व होंगे।

(iii) टेबल अंगूर में न्यूनतम घुलनशील ठोस पदार्थ 16 डिग्री ब्रिक्स होने चाहिए।

(iv) टेबल अंगूर में न्यूनतम शर्करा/अम्ल अनुपात 18:1 होना चाहिए।

फुट नोट: धूप के कारण होने वाला पिगमेंटेशन कोई दोष नहीं है।

3. श्रेणी अभिधान और गुणवत्ता के लिए मापदंड:

श्रेणी अभिधान	श्रेणी अपेक्षाएं	आकार संबंधी प्रावधान	श्रेणी सहनीयता
1	2	3	4
उत्कृष्ट श्रेणी	अंगूर उत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए। गुच्छों का आकार, विकास और रंग किस्म की	तालिका 'ए' के अनुसार	गुच्छों के वजन के अनुसार 5% तक ग्रेड की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं,

	विशेषता के अनुरूप होना चाहिए और उनमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। फल ठोस, डंठल से मजबूती से जुड़े हुए, डंठल पर समान दूरी पर और स्पष्टतः ताज़े होने चाहिए।		लेकिन श्रेणी-I ग्रेड की अपेक्षा को पूरा करता हो या असाधारण रूप से उस ग्रेड की सहनीयता के भीतर आता है।
श्रेणी-I	अंगूर अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। गुच्छों का आकार, विकास और रंग किस्म की विशेषता के अनुरूप होना चाहिए। फल ठोस, डंठल से मजबूती से जुड़े हुए और जहां तक संभव हो ताज़े होने चाहिए। हालाँकि, वे उत्कृष्ट श्रेणी की तुलना में डंठल पर कम समान दूरी पर हो सकते हैं। निम्नलिखित मामूली खामियाँ हो सकती हैं, बशर्ते ये उत्पाद के सामान्य आकार और पैकेज की गुणवत्ता को प्रभावित न करें। -आकार में थोड़ी खराबी, -रंग में थोड़ी खराबी	-वही-	गुच्छों के वजन के अनुसार 10% तक ग्रेड की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं, लेकिन श्रेणी II ग्रेड की अपेक्षा को पूरा करता हो या असाधारण रूप से उस ग्रेड की सहनीयता के भीतर आता है।
श्रेणी -II	गुच्छों में आकार, विकास और रंग में दोष दिखाई दे सकते हैं, बशर्ते ये किस्म की अनिवार्य विशेषताओं को प्रभावित नहीं करें। फल पर्याप्त रूप से ठोस और डंठल से जुड़े होने चाहिए। वे श्रेणी-I ग्रेड की तुलना में डंठल पर कम समान दूरी पर हो सकते हैं। निम्नलिखित दोष हो सकते हैं, बशर्ते ये उत्पाद के सामान्य आकार और पैकेज की गुणवत्ता को प्रभावित न करें। - आकार में दोष, - रंग में दोष, -सूरज की गर्मी से हल्की झुलसन जिससे केवल छिलका प्रभावित हो, - हल्की चोट, - छिलके में मामूली दोष	-वही-	गुच्छों के वजन के हिसाब से 10% और ग्रेड की अपेक्षाओं के अनुरूप हो तथा न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करता है।

4. अन्य आवश्यकताएँ:

(i) अंगूरों को सावधानी से चुना जाना चाहिए और वे किस्म और/या वाणिज्यिक प्रकार और जिस क्षेत्र में वे उगाए गए हैं, उसके मानदंडों के अनुसार विकास और परिपक्वता की उचित स्थिति प्राप्त कर चुके हों। अंगूरों का विकास और स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह –

- यातायात और हैंडलिंग का सामना कर सके,
- जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।

(ii) एक किलोग्राम से अधिक के शुद्ध वजन वाले उपभोक्ता पैकेज में विभिन्न किस्मों के टेबल अंगूरों का मिश्रण हो सकता है, बशर्ते वे निर्दिष्ट ग्रेड की अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करें।

तालिका 'ए'

आकार से संबंधित प्रावधान

आकार का निर्धारण गुच्छों के वजन (ग्राम में) से होता है। बड़े और छोटे अंगूरों के लिए प्रति गुच्छा निम्नलिखित न्यूनतम (ग्राम में) अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं।

श्रेणी	बड़े फल	छोटे फल
उत्कृष्ट श्रेणी	200	150
श्रेणी -I	150	100
श्रेणी -II	100	75

आकार सहनीयता:

- (i) उत्कृष्ट श्रेणी, श्रेणी I, श्रेणी II: गुच्छों के वजन के हिसाब से 10% तक ग्रेड की आकार अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन तत्काल नीचे वाले ग्रेड के लिए आकार की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।
- (ii) एक किलोग्राम से अनधिक शुद्ध वजन वाले पैकेजों के लिए, 150 ग्राम से कम वजन वाले एक गुच्छे को वजन समायोजित करने की अनुमति है, बशर्ते कि गुच्छा निर्दिष्ट ग्रेड की अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो।“

[फा. सं. क्यू-11047/05/एफ&वी/2023-मानक)

फ़ैज़ अहमद किदवई, अपर सचिव (विपणन)

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 26 जून, 2004 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 220 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक 10 नवंबर, 2016 को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 1059(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 5th February, 2024

G.S.R. 99 (E).—The following draft of the Fruits and Vegetables Grading and Marking (Amendment) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), to amend the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2004 are hereby published as required by the said section for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, in respect of the said draft rules may be forwarded to the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, CGO Complex, NH - IV, Faridabad (Haryana) 121001.

Draft Rules

1. **Short title, application and commencement.** - (1) These rules shall be called the Fruits and Vegetables Grading and Marking (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), for Rule 8, the following shall be substituted, namely:-

“8 (1) Fruits and Vegetables for domestic trade, shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, pesticide residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, and other regulations made for domestic trade under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

(2) Fruits and Vegetables for export trade, shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission or importing countries requirement for export.”

3. In the said rules, for Schedule II, the following schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE – II

Grade designation and quality of Table Grapes

1. Table Grapes shall be fruits obtained from varieties (cultivars) of *Vitis vinifera L.*

2. Minimum requirements:

(i) Bunches and berries of Table grapes shall be:

- clean, sound, free of any visible foreign matter;
- free of pests, affecting the general appearance of the produce;
- free of damage caused by pests or diseases;
- free of abnormal external moisture;
- free of any foreign smell and/or taste;
- free of all visible traces of moulds;
- free of damage caused by high or low temperature.

(ii) Berries shall be intact, well formed and normally developed.

(iii) Table grapes shall have minimum soluble solids of 16 degrees brix.

(iv) Table grapes shall have minimum sugar/ acid ratio of 18:1.

Foot Note: Pigmentation due to sun is not a defect.

3. Criteria for grade designation and quality:

Grade designation	Grade Requirements	Provision concerning sizing	Grade tolerances
1	2	3	4
Extra class	Grapes must be of superior quality. The bunches must be typical of variety in shape, development and coloring and have no defects. Berries must be firm, firmly attached to the stalk,	As per table 'A'	5% by weight of bunches not satisfying the requirements for the grade, but meeting those of Class I grade or exceptionally coming within the tolerances of that grade.

	evenly spaced along the stalk and have their bloom virtually intact.		
Class I	<p>Grapes must be of good quality. The bunches must be typical of variety in shape, development and coloring. Berries must be firm, firmly attached to the stalk and, as far as possible, have their bloom intact. They may, however, be less evenly spaced along the stalk than in the extra class. Following slight defects may be there, provided these do not affect the general appearance of the produce and keeping quality of the package.</p> <ul style="list-style-type: none"> - a slight defect in shape, - a slight defect in coloring 	- do -	10% by weight of bunches not satisfying the requirements for the grade, but meeting those of Class II grade or exceptionally coming within the tolerances of that grade.
Class II	<p>The bunches may show defects in shape, development and coloring provided these do not impair the essential characteristics of the variety. The berries must be sufficiently firm and sufficiently attached to the stalk. They may be less evenly spaced along the stalk than Class I grade. Following defects may be there, provided these do not affect the general appearance of the produce and keeping quality of the package.</p> <ul style="list-style-type: none"> - defects in shape, - defects in coloring, - slight sun scorch affecting the skin only, - slight bruising, - slight skin defects 	- do -	10% by weight of bunches and satisfying the requirements of the grade, but meeting the minimum requirements.

4. Other requirements:

- (i) Grapes must have been carefully picked and have reached an appropriate degree of development and ripeness in accordance with criteria proper to the variety and/or commercial type and to the area in which they are grown. The development and condition of the grapes must be such as to enable them;
 - to withstand transport and handling, and
 - to arrive in satisfactory condition at the place of destination.
- (ii) Consumer packages of net weight not exceeding one kg may contain mixture of table grapes of different varieties, provided they shall meet all other requirements of the specified grade.

TABLE `A'
PROVISIONS CONCERNING SIZING

Size is determined by the weight of bunches (in g). The following minimum (in g) requirements per bunch are laid down for large and small berries grapes.

Grade	Large berries	Small berries
Extra class	200	150
Class I	150	100
Class II	100	75

Size tolerance:

- (i) Extra class, Class I, Class II: 10 % by weight of bunches not satisfying the size requirements for the grade, but meeting the size requirements for the grade immediately below.
- (ii) For packages not exceeding one kg net weight, one bunch weighing less than 150 g is allowed to adjust the weight, provided, the bunch meets all other requirements of the specified grade.”

[F. No. Q-11047/05/F&V/2023-Std)

FAIZ AHMED KIDWAI, Addl. Secy. (Marketing)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part-II, Section-3, Sub-section (i) *vide* notification number GSR 220, dated 26th June, 2004 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 1059(E), dated 10th November, 2016.